	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	भाद्र 24, बुधवार, शाके 1932–सितम्बर 15, 2010 *Bhadra 24, Wednesday, Saka 1932–September 15, 2010*	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 15, 2010

संख्या प. 2 (30) विधि/2/2010.–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 सितम्बर, 2010 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2010

(2010 का अधिनियम संख्यांक 22)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 सितम्बर, 2010 को प्राप्त हुई]

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान–मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 20 का संशोधन.–राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 20 में,–

(i) उप–धारा (2क) के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न “।” के स्थान पर विराम चिह्न “:” प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित विद्यमान उप–धारा (2क) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:–

''परन्तु यह कि राज्य सरकार, यदि वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझे तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विक्रयों या क्रयों के किसी भी वर्ग को इस उप–धारा के उपबंध से छूट दे सकेगी।''।

कपिल भार्गव,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, September 15, 2010

No. F. 2 (30) Vidhi/2/2010.–In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Moolya Parivardhit Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010 (2010 Ka Adhiniyam Sankhyank 22) :–

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2010

(Act No. 22 of 2010)

[Received the assent of the Governor on the 13th day of September, 2010]

An

Act

further to amend the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.–(1) This Act may be called the Rajasthan Value Added Tax (Amendment) Act, 2010.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Amendment of section 20, Rajasthan Act No. 4 of 2003.–In section 20 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003(Act No. 4 of 2003), -

(i) for the existing punctuation mark ".", appearing at the end of sub-section (2A), the punctuation mark ":" shall be substituted; and

(ii) after the existing sub-section (2A), so amended, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that the State Government may, if it considers necessary in the public interest so to do, exempt, by notification in the Official Gazette, any class of sales or purchases from the provision of this sub-section.".

कपिल भार्गव,

Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.